भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 1396
मंगलवार, 29 जुलाई, 2025/7श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

सभी सहकारी समितियों के लिए डिजिटलीकरण कार्यक्रम

†1396. सुश्री महुआ मोइत्राः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

मंत्रालय के अंतर्गत सभी सहकारी समितियों के लिए डिजिटलीकरण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(i) **पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना:-** भारत सरकार ₹2,516 करोड़ की कुल वित्तीय परिव्यय से कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की परियोजना कार्यान्वित कर रही है जिसे अब ₹2925.39 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है जिसमें सभी कार्यशील पैक्स को एक ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित सॉफ्टवेयर में लाकर राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के माध्यम से नाबार्ड के साथ लिंक करना है । देश भर में इस परियोजना के सभी पैक्स को यह कॉमन ईआरपी सॉफ्टवेयर प्रदान किया जा रहा है जिससे वे पैक्स के सभी कार्यों, क्रेडिट और गैर-क्रेडिट, दोनों पर डाटा संकलित कर सकें ।

यह ईआरपी- आधारित कॉमन सॉफ्टवेयर, एक कॉमन एकाउंटिंग सिस्टम (CAS) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (MIS) के माध्यम से पैक्स के कार्यकुशलता में वृद्धि लाता है । इसके अतिरिक्त, यह शासन और पारदर्शिता को सशक्त करता है जिसके परिणामस्वरूप ऋण का त्वरित संवितरण, लेनदेन लागतों में कमी, भुगतान असंतुलनों में कमी और राज्य सहकारी बैंकों (StCBs) एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के साथ निर्बाध लेखांकन सुनिश्चित होता है । इसके अतिरिक्त, नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण और हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करने से ऐसे लोग जो डिजिटली साक्षर नहीं हैं सहित छोटे और सीमांत किसानों को समान रूप से डिजिटलीकरण से लाभ प्राप्त होना सुनिश्चित होता है ।

समग्र ईआरपी समाधान सदस्यता प्रबंधन, वित्तीय सेवाओं जैसे जमा एवं उधार (अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक), प्रापण, प्रसंस्करण इकाइयों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, व्यवसाय नियोजन, भांडागारण, क्रय-विक्रय, उधार, परिसंपत्ति प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यों को एकीकृत करता है । इसके अतिरिक्त, इसमें पैक्स के सदस्यों के लिए निर्बाध वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के लिए रुपे एवं किसान क्रेडिट कार्ड/डेटाबेस एकीकरण को समाविष्ट करने का भी प्रावधान है । इस परियोजना के अधीन केंद्रीय सरकार के हिस्से के रूप में

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को ₹759.36 करोड़ और नाबार्ड को ₹165.92 करोड़ की कुल राशि जारी की गई है । इस परियोजना की स्थिति का ब्योरा **संलग्नक 'क'** में दिया गया है ।

(ii) इसके अलावा, भारत सरकार **आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों के सशक्तीकरण की केंद्रीय प्रायोजित परियोजना** भी कार्यान्वित कर रहा है । इस परियोजना के दो उप-परियोजनाएं हैं:-

(क) **कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (ARDB) का कंप्यूटरीकरण:** केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2023 को कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कंप्यूटरीकरण की उप-परियोजना अनुमोदित की गई है जिसमें 119.40 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDB) और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की 1851 इकाइयों को शामिल किया गया है । आज की स्थिति के अनुसार, दो राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल और केरल से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर अपने प्रशासनिक कारणों से इस परियोजना से हट गया है । नाबार्ड इस परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है । अब तक 10 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । आज की स्थिति के अनुसार केवल 10 राज्य इस परियोजना का हिस्सा हैं, जिनका विवरण और अद्यतन स्थिति का ब्योरा **संलग्नक 'ख'** में दिया गया है ।

(ख) **राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण:** राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 06.10.2023 को ₹94.59 करोड़ के बजटीय प्रावधान से वर्ष 2023-24 से तीन वर्षों के लिए **राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण** की उप-परियोजना अनुमोदित किया गया है । यह परियोजना मंत्रालय की "IT इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों के सशक्तीकरण" की अंब्रेला परियोजना का हिस्सा है । इस परियोजना का लक्ष्य सहकारी समितियों के लिए सुगम व्यवसाय में वृद्धि करना और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों तथा RCS कार्यालयों के बीच पारदर्शी, कागज़रहित और डिजिटल परितंत्र का सृजन करना है । इस योजना के अधीन विकसित किया जाने वाला सॉफ्टवेयर संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारिता अधिनियमों के अनुरूप होगा । वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (30 जून, 2025 तक) के दौरान, 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं तथा भारत सरकार के हिस्से के रूप में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को ₹19.73 करोड़ की राशि जारी की गई है ।

(iii) **प्रामाणिक और अद्यतित डेटा संग्रहण हेतु नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:** राज्य सरकारों के सहयोग से देश में सहकारी समितियों का एक डेटाबेस विकसित किया गया है, जो देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/ योजनाओं हेतु नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों के लिए सहायक होगा । इस डेटाबेस में अब तक 30 विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 8.4 लाख सहकारी समितियां, जिससे लगभग 32 करोड़ सदस्य जुड़े हैं, के डेटा का संकलन किया गया है ।

(क) **सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क:** सरकार ने सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार मूल्यांकन और रैंकिंग करने के लिए 24 जनवरी, 2025 को सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया । रैंकिंग फ्रेमवर्क राज्य के RCS को प्रमुख मापदंडों जैसे ऑडिट अनुपालन, प्रचालन कार्यकलापों, वित्तीय

प्रदर्शन, अवसंरचना और बुनियादी पहचान सूचना के आधार पर सहकारी समितियों के प्रदर्शन का आकलन करने में सक्षम बनाता है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के RCS, प्रारंभ में 7 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् पैक्स, डेयरी, मत्स्य पालन, शहरी सहकारी बैंक, आवास, क्रेडिट और थ्रिफ्ट तथा खादी एवं ग्राम उद्योग की सहकारी समितियों की रैंकिंग जेनरेट कर सकते हैं। यह रैंकिंग प्रणाली सहकारी समितियों के बीच पारदर्शिता, विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित है जिससे अंततः, उनके विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उद्देश्यों के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियों को सहकारिता मंत्रालय और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के प्राधिकारियों द्वारा मान्यता और सम्मान दिया जाएगा।

(ख) **राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एनसीडी पोर्टल से एपीआई (अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) द्वारा डेटा प्राप्त करने की सुविधा:** सहकारिता मंत्रालय ने राज्य की सहकारी समितियों के संपूर्ण डेटा को एनसीडी पोर्टल से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए एक मानक एपीआई का विकास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सुरक्षित एपीआई (अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) एक्सेस के लिए एक विस्तृत मानक एपीआई विनिर्देश दस्तावेज, डेटाबेस स्कीम और राज्य-विशिष्ट एक्सेस कुंजी दिनांक 27.05.2025 को सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के साथ साझा की गई है। ये दस्तावेज़ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के आरसीएस के अनुप्रयोगों को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल के साथ एकीकृत करने में सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं, ताकि एपीआई-आधारित एकीकरण के माध्यम से एनसीडी पोर्टल पर डेटा का अद्यतन स्वचालित रूप से और रियल-टाइम में हो सके। एकीकरण योजना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए एनसीडी पोर्टल से संबंधित डेटा को अपने स्थानीय सिस्टम/आरसीएस पोर्टल पर लाने के लिए अपने स्तर पर एक रिवर्स/पुन:प्राप्ति एपीआई विकसित करना भी आवश्यक है। इस दो-तरफा एकीकरण से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर सहकारी डाटा का सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित होगा।

संलग्नक 'क'

पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	अनुमोदित पैक्स की संख्या	ERP पर ऑनबोर्ड किए गए
1.	महाराष्ट्र	12,000	11,954
2.	राजस्थान	7,468	5,900
3.	गुजरात	5,754	5,627
4.	उत्तर प्रदेश	5,686	3,048
5.	कर्नाटक	5,682	3,765
6.	मध्य प्रदेश	5,188	4,428
7.	तमिलनाडु	4,532	4,531
8.	बिहार	4,495	4,460
9.	पश्चिम बंगाल	4,167	3,145
10.	पंजाब	3,482	3,408
11.	ओडिशा*	2,711	-
12.	आंध्र प्रदेश	2,037	2,021
13.	छत्तीसगढ़	2,028	2,028
14.	हिमाचल प्रदेश	1,789	965
15.	झारखंड	2,797	1,414
16.	हरियाणा	710	609
17.	उत्तराखंड	670	670
18.	असम	583	579
19.	जम्मू और कश्मीर	537	536
20.	त्रिपुरा	268	207
21.	मणिपुर	232	175
22.	नागालैंड	231	64
23.	मेघालय	112	99
24.	सिक्किम	107	103
25.	गोवा	58	45
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	46
27.	पुड्डुचेरी	45	43
28.	मिजोरम	49	25
29.	अरुणाचल प्रदेश	14	11
30.	लद्दाख	10	10
31.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4	4
	कुल	**73,492**	**59,920**

*ओडिशा हाल ही में इस परियोजना से जुड़ा है ।

संलग्नक 'ख'

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कंप्यूटरीकरण परियोजना की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	ARDB की स्वीकृत इकाइयां	डिलीवर किए गए हार्डवेयर	कुल जारी निधि (करोड़ रुपये)
1.	उत्तर प्रदेश	342	0	1.27
2.	तमिलनाडु	214	471	1.49
3.	कर्नाटक	207	467	0.8
4.	गुजरात	195	0	0.82
5.	राजस्थान	39	0	0.67
6.	पंजाब	90	0	0.47
7.	हरियाणा	20	0	0.76
8.	हिमाचल प्रदेश	57	202	0.56
9.	त्रिपुरा	6	0	0.04
10.	पुड्डुचेरी	2	4	0.04
	कुल	**1172**	**1144**	**7.18**